| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज<br><br>निगरानी/टीए/5245/2005/बीकानेर<br>काशीदेवी बनाम नन्दलाल | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए |
|---|---|---|

**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

**एकल–पीठ**

**श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य**

**उपस्थित :**

श्री जे.के.पन्त, अभिभाषक प्रार्थीगण
श्रीमती सविता चौहान, अभिभाषक अप्रार्थीगण

**–आदेश–**

**दिनांकः– 25–02–2025**

हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या–58/2003 बउनवानी नन्दलाल वगै0 बनाम काशीदेवी वगै0 में पारित आदेश दिनांक 10–10–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण वादीगण संख्या 1 ता 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का ग्राम सरहकजानी जिला बीकानेर स्थित साबिक खसरा नंबर 34/28 हाल खसरा नंबर 08 रकबा 08 बिघा 19 बिस्वा भूमि के सबंध में प्रस्तुत कर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दौराने वाद प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर ने उभयपक्ष को सुनकर अपने आदेश दिनांक 10–10–2005 द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं कारण रहित आदेश से खारिज किया है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने वादग्रस्त भूमि पर बतौर उत्तराधिकारी अपने अधिकार की मांग की गई है जबकि उनके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही आराजी जैर के बाबत् बतौर उत्तराधिकार अधिकार हासिल नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण/वादीगण के वादग्रस्त भूमि पर

बतौर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होने एवं उत्तराधिकारित के प्रश्न का निर्धारण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण/वादीगण को राजस्व न्यायालय में वादपत्र लाने का अधिकार हासिल नहीं होने के तथ्य के आधार पर ही प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश करते हुए वादपत्र को पूर्णतया बार्ड बाई लॉ होने के आधार पर निरस्त किये जाने की मांग की गई थी, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी याचिका के साथ–साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण/अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के सबंध में वादीगण के दावे में किये गये कथनों को देखना होता है। अन्य किसी दस्तावेज व जवाबदावा पर विचार नहीं किया जाता। शेष तथ्य साक्ष्य के बाद ही निर्णित होते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में अंकित तथ्य मूल वाद से संबंधित होने व उपरोक्त तथ्यों का निर्धारण जवाब एवं साक्ष्य के उपरान्त किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है। निगरानी का दायरा सीमित होता है। अतः निगरानी के माध्यम से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हुआ है कि अप्रार्थीगण वादीगण सं. 1 से 4 द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर आपत्ति की गई है कि वादपत्र में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वाद विधि द्वारा वर्जित है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि विवादित आराजी कृषि भूमि है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 व 188 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। इस सबंध में पक्षकारान के पक्ष में सृजित होने वाले अधिकारों बाबत् निर्णय मूल वाद में साक्ष्य–जवाब आदि के बाद होगा। मूल दावा अभी प्रारम्भिक स्तर पर है और उसमें उभय पक्ष के हक हकूक एवं अधिकार तय होना बाकी है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के माध्यम से यह साबित करने में असफल रहे है कि वादीगण को किस प्रकार से वादकारण हासिल नहीं है जबकि वादपत्र के पैरा

संख्या 5 में वादकारणों को वर्णित किया गया है तथा वादपत्र किस प्रकार से विधि द्वारा बाधित है यह आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र से स्पष्ट नही होता है। जबकि उत्तराधिकारिता स्वरूप वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण गुणावगुण पर किये जाने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय ने वादीगण को वादकारण हासिल होने एवं वाद को प्रथम दृष्ट्या विधि द्वारा वर्जित नहीं माना है और न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा पारित आदेश में ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नहीं होती है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर का आक्षेपित आदेश दिनांक 10-10-2005 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(राजेश कुमार दड़िया)**
**सदस्य**